



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011—पौष 29, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. एफ 24-7-2007-एक-10.—जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, जिला रीवा के जे. पी. सीमेंट फैक्ट्री परिसर में दिनांक 22 सितम्बर, 2007 को हुई गोलीबारी की घटना की न्यायिक जाँच के लिये आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 3 के अंतिम वाक्यांश “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर” के स्थान पर “दिनांक 30 जून 2011 तक” स्थापित किया जाये. दिनांक 1 जनवरी, 2011 से दिनांक 30 जून, 2011 तक छः माह की वृद्धि अंतिम बार के लिए की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. दुबे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. एफ 24-7-2007-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 19th January 2011

No. F 24-7-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. dated 31st October, 2007 regarding the constitution of Inquiry Commission in the incidence of firing in the premises of J. P. Cement Factory, District Rewa on 22nd September, 2007 namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in last sentence of para 3 for the words “within three months of the date of publication of this Notification” the words “upto 30th June, 2011” shall be substituted. No further extension will be made after 30th June 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. DUBEY, Dy. Secy.